

बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

पत्रांक...../पटना, दिनांक.....
03/सह०ब०योजना (आवंटन)-02/2025

प्रेषक,

अभय कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

निबंधक,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

विषय:- सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों को अनिवार्य प्रवेशकालीन/सांस्थिक प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रदान किये जाने वाले अन्य सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना मद से प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल रु० 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक-146, दिनांक-06.06.2025 के आलोक में राज्य स्कीम अंतर्गत मांग संख्या-09, मुख्य शीर्ष-2425 सहकारिता, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-003-प्रशिक्षण, उप शीर्ष-0102-विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए अनुदान, विपत्र कोड-09-2425000030102, विस्तृत शीर्ष-20 अन्य प्रशासनिक व्यय, विषय शीर्ष-03-प्रशिक्षण व्यय में रु० 2,00,00,000/- (दो करोड़) रुपये का आवंटन दिया जाता है।

2. उपर्युक्त आवंटन वित्त विभाग के पत्र सं०-227/वि०, दिनांक-28.03.2025 के अंतर्गत बिहार विनियोग (संख्या-02) अधिनियम, 2025 एवं वित्त विभाग के पत्र संख्या-235/वि० दिनांक-01.04.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17.04.1998 में निहित शर्तों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाना निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवश्यक होगा।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

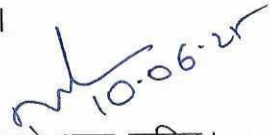
ह०/-

(अभय कुमार सिंह),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को मुहरबंद लिफाफा में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक- 14(आ०)...../पटना, दिनांक- 10/06/2025.....
प्रतिलिपि:- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना/उप सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/विपत्र लिपिक, कार्यालय निबंधक, स०स०, बिहार, पटना (दो मूल प्रतियों में)/विभागीय आई०टी० मैनेजर, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।